



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-25] रुड़की, शनिवार, दिनांक 13 मई, 2024 ई0 (बैशाख 28, 1946 शक सम्बत) [संख्या-20

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्द्रा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य ...	—	रु0 3075
भाग 1-विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	477-479	1500
भाग 1-क-नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	205-211	1500
भाग 2-आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण ...	—	975
भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 5-एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 6-बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट ...	—	975
भाग 7-इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ...	—	975
भाग 8-सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	141-142	975
स्टोर्स पर्चेज-स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

बेसिक शिक्षा अनुभाग-2

अधिसूचना

08 मई, 2024 ई0

संख्या 232/XXIV-A-2/24-45/2008 T.C IV-राज्यपाल, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 35 वर्ष 2009) की धारा 38 द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 में अग्रेतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन)

नियमावली, 2024

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

- (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियमावली, 2024 है।
- (2) यह आगामी शैक्षिक सत्र 2024-25 से प्रवृत्त होगी।

नियम 2 का संशोधन

2. "उत्तराखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011" में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 2 के उपनियम (1) के विद्यमान खण्ड (च) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

स्तम्भ-2

विद्यमान खण्ड	एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
'बच्चे' से 6 से 14 वय वर्ग का कोई बालक या बालिका अभिप्रेत है, परन्तु विशिष्ट आवश्यकताधारी बच्चों के लिए "बच्चे" से 6 से 18 वय वर्ग का कोई बालक या बालिका अभिप्रेत है। 06 वर्ष का अभिप्राय है कि बालक या बालिका द्वारा शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने की तिथि को (अर्थात् प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह की प्रथम तिथि) या उससे पूर्व 06 वर्ष की आयु पूर्णतः प्राप्त कर ली गई हो, अर्थात् 05 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात् 12 माह की अवधि पूर्ण हो चुकी हो।	'बच्चे' से 6 से 14 वय वर्ग का कोई बालक या बालिका अभिप्रेत है, परन्तु विशिष्ट आवश्यकताधारी बच्चों के लिए "बच्चे" से 6 से 18 वय वर्ग का कोई बालक या बालिका अभिप्रेत है। 06 वर्ष का अभिप्राय है कि बालक या बालिका द्वारा शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने की तिथि से पूर्व 06 वर्ष की आयु पूर्णतः प्राप्त कर ली गई हो, अर्थात् 05 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात् 12 माह की अवधि पूर्ण हो चुकी हो। वर्तमान में जिन बच्चों द्वारा प्री-स्कूल (नर्सरी, एल0के0जी0, यू0के0जी0) में प्रवेश लिया जा चुका है उन्हें, कक्षा-1 में अध्ययन की अनुमति पूर्व के वर्षों की भांति प्रदान की जायेगी तथा उनके आगे की प्रगति की निरन्तरता में कोई भी व्यवधान नहीं होगा। आगामी वर्षों में प्री-स्कूल कक्षाएं संचालित करने वाले विद्यालयों के लिए यह बाध्यकारी होगा कि वे प्री-स्कूल कक्षाओं में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु का निर्धारण इस प्रकार करें कि केवल 6 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके बच्चे ही कक्षा-1 में प्रवेश हेतु अर्ह हो। उक्त के साथ ही दिव्यांग बच्चों हेतु विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया इस प्रकार अपनायी जायेगी कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक उनकी प्रारम्भिक शिक्षा निर्बाध रूप से पूरी हो सके।

आज्ञा से,
रविनाथ रामन,
सचिव।

In pursuance of the provision of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of Notification No.233/XXIV-A-2/24-45/2008 T.C IV Dated-May 08, 2024.

NOTIFICATION

May 08, 2024

No.233/XXIV-A-2/24-45/2008 T.C IV--In exercise of the powers conferred by section 38 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (Central Act No. 35 of 2009), the Governor makes the following rules with a view of further amend the Uttarakhand Right of Children to Free and Compulsory Education rules, 2011 :-

**THE UTTARAKHAND RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY
EDUCATION (AMENDMENT) RULES, 2024**

**Short Title and
Commencement**

1. (1) These Rules may be called the Uttarakhand Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Rules, 2024
- (2) It shall come in force from subsequent academic session 2024-25.

**Amendment of
rule 2.**

2. In the Uttarakhand Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011 for the existing clause (f) of sub-rule (1) of rule 2 as set out in column-1 below, the sub rule as set out in column-2 shall be substituted namely.

Column- 1	Column- 2
Existing Clause	Hereby Substituted Clause
"Child" means a male or female child of the age group of 6 to 14 years, provided that for the purpose of Children With Special Needs the "Child" means a male or female child of the age group of 6 to 18 years. 06 years means that the male or female child should have attained the age of 06 years on (i.e. 1 st April of every year) or before the date of commencement of the academic session, i.e, the period of 12 months has been completed after completing 05 years;"	"Child" means a male or female child of the age of 6 to 14 years, provided that for the purpose of Children With Special Needs the "Child" means a male or female child of the age of 6 to 18 years. 06 years means that the male or female child should have attained the age of 06 years before the date of commencement of the academic session, i.e, the period of 12 months has been completed after completing 05 years Children who are at present enrolled in pre-school (i.e., Nursery, LKG, UKG), shall hereby continue their education in further classes as per the previously existing rule and they shall not face any hurdle in continuing their further education. In the subsequent years, it shall be mandatory for all schools conducting pre school classes to determine the minimum age for admission in pre-school classes in such a way that only children who have completed the age of 6 shall be admitted in class I. In addition to the above, admission procedure in school for children with special needs shall be adopted in such a way that their elementary education may be completed uninterrupted till they complete the age of 18 years.

By Order,

RAVINATH RAMAN,
Secretary.



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 18 मई, 2024 ई0 (बैशाख 28, 1946 शक सम्वत्)

भाग 1—क

नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL

NOTIFICATION

May 06, 2024

No.191/UHC/Admin.A-2/2024

In supersession of earlier Notification No. 261/UHC/Admin.A-2/2023 dated June 08, 2023; Presiding Officer of the Court of 6th Additional Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun is nominated as *Presiding Officer* of the Virtual Court under Motor Vehicles Act, 1988 to adjudicate e-traffic challan cases through virtual electronic platform for the entire district of Dehradun, in addition to his/her present duties.

No.192/UHC/Admin.A-2/2024

In supersession of earlier Notification No. 306/UHC/Admin.A-2/2023 dated August 23, 2023; Presiding Officer of the Court of Judicial Magistrate-I, Haridwar is nominated as *Presiding Officer* of the Virtual Court under Motor Vehicles Act, 1988 to adjudicate e-traffic challan cases through virtual electronic platform for the entire district of Haridwar, in addition to his/her present duties.

No.193/UHC/Admin.A-2/2024

In addition to the Police Challan Cases, Judicial Magistrate, Almora is also nominated as *Presiding Officer* of the Virtual Court under Motor Vehicles Act, 1988 to adjudicate Transport Department Challan cases through virtual electronic platform for the entire district of Almora, as additional assignment.

No.194/UHC/Admin.A-2/2024

In addition to the Police Challan Cases, Judicial Magistrate, Bageshwar is also nominated as *Presiding Officer* of the Virtual Court under Motor Vehicles Act, 1988 to adjudicate Transport Department Challan cases through virtual electronic platform for the entire district of Bageshwar, as additional assignment.

No.195/UHC/Admin.A-2/2024

In addition to the Police Challan Cases, Judicial Magistrate, Chamoli is also nominated as *Presiding Officer* of the Virtual Court under Motor Vehicles Act, 1988 to adjudicate Transport Department Challan cases through virtual electronic platform for the entire district of Chamoli, as additional assignment.

No.196/UHC/Admin.A-2/2024

In addition to the Police Challan Cases, Civil Judge (Jr. Div.), Champawat is also nominated as *Presiding Officer* of the Virtual Court under Motor Vehicles Act, 1988 to adjudicate Transport Department Challan cases through virtual electronic platform for the entire district of Champawat, as additional assignment.

No.197/UHC/Admin.A-2/2024

In addition to the Police Challan Cases, 6th Additional Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun is also nominated as *Presiding Officer* of the Virtual Court under Motor Vehicles Act, 1988 to adjudicate Transport Department Challan cases through virtual electronic platform for the entire district of Dehradun, as additional assignment.

No.198/UHC/Admin.A-2/2024

In addition to the Police Challan Cases, Judicial Magistrate-I, Haridwar is also nominated as *Presiding Officer* of the Virtual Court under Motor Vehicles Act, 1988 to adjudicate Transport Department Challan cases through virtual electronic platform for the entire district of Haridwar, as additional assignment.

No.199/UHC/Admin.A-2/2024

In addition to the Police Challan Cases, Civil Judge (Jr. Div.), Nainital is also nominated as *Presiding Officer* of the Virtual Court under Motor Vehicles Act, 1988 to adjudicate Transport Department Challan cases through virtual electronic platform for the entire district of Nainital, as additional assignment.

No.200/UHC/Admin.A-2/2024

In addition to the Police Challan Cases, Judicial Magistrate, Pauri Garhwal is also nominated as *Presiding Officer* of the Virtual Court under Motor Vehicles Act, 1988 to adjudicate Transport Department Challan cases through virtual electronic platform for the entire district of Pauri Garhwal, as additional assignment.

No.201/UHC/Admin.A-2/2024

In addition to the Police Challan Cases, Civil Judge (Jr. Div.), Pithoragarh is also nominated as *Presiding Officer* of the Virtual Court under Motor Vehicles Act, 1988 to adjudicate Transport Department Challan cases through virtual electronic platform for the entire district of Pithoragarh, as additional assignment.

No.202/UHC/Admin.A-2/2024

In addition to the Police Challan Cases, Judicial Magistrate, Rudraprayag is also nominated as *Presiding Officer* of the Virtual Court under Motor Vehicles Act, 1988 to adjudicate Transport Department Challan cases through virtual electronic platform for the entire district of Rudraprayag, as additional assignment.

No.203/UHC/Admin.A-2/2024

In addition to the Police Challan Cases, Civil Judge (Jr. Div.), Tehri Garhwal is also nominated as *Presiding Officer* of the Virtual Court under Motor Vehicles Act, 1988 to adjudicate Transport Department Challan cases through virtual electronic platform for the entire district of Tehri Garhwal, as additional assignment.

No.204/UHC/Admin.A-2/2024

In addition to the Police Challan Cases, Judicial Magistrate-I, Udham Singh Nagar is also nominated as *Presiding Officer* of the Virtual Court under Motor Vehicles Act, 1988 to adjudicate Transport Department Challan cases through virtual electronic platform for the entire district of Udham Singh Nagar, as additional assignment.

No.205/UHC/Admin.A-2/2024

In addition to the Police Challan Cases, Judicial Magistrate, Uttarkashi is also nominated as *Presiding Officer* of the Virtual Court under Motor Vehicles Act, 1988 to adjudicate Transport Department Challan cases through virtual electronic platform for the entire district of Uttarkashi, as additional assignment.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/-

KAUSHAL KISHORE SHUKLA,

I/c Registrar General.

NOTIFICATION

May 07, 2024

No.206/UHC/Admin.A-2/2024--In furtherance of earlier issued Notification No.119/UHC/Admin.A-2/2024 dated April 23, 2024 of this Court; Shri Mohammad Yaqoob, Chief Judicial Magistrate, Pauri Garhwal shall not be entitled to get Transfer Travelling Allowance on his transfer to Tehri Garhwal.

By Order of the Court,

Sd/-

ASHISH NAITHANI,

Registrar General.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITALNOTIFICATION

May 09, 2024

No.214/UHC/Admin.(A)/2024--The following Deputy Registrars of the Court are promoted to the post of Joint Registrar in the pay scale of ₹ 131100-216600 (Level-13 A) in the establishment of High Court of Uttarakhand, Nainital from the date of their taking over charge:

1. Shri Harsh Singh Jeena
2. Shri Vidya Sagar Pant

"वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 2 भाग 2 से 4 के मूल नियम-22(ए) (1) एवं 22-बी(1) के अन्तर्गत वेतन निर्धारण सम्बन्धी तिथि विकल्प दिए जाने हेतु इस आदेश निर्गमन की तिथि से एक माह की समय-सीमा सरकारी सेवक को उपलब्ध होगी और एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा"।

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/-

ASHISH NAITHANI,

Registrar General.

UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY.HIGH COURT CAMPUS, NAINITALNOTIFICATION

In exercise of the powers conferred under Section 22B of the Legal Services Authorities Act, 1987, provisions of the Permanent Lok Adalat (Other Terms and Conditions of Appointment of Chairman and Other Persons) Rules, 2003 and in pursuance of the recommendation letters dated 24.04.2024 and 30th April/01st May, 2024 of Hon'ble High Court of Uttarakhand, Hon'ble the Executive Chairman, Uttarakhand State Legal Services Authority, Nainital is pleased to appoint the following Judicial Officers as Chairmen, Permanent Lok Adalats in the districts mentioned against their names:-

NOTIFICATION

May 07, 2024

No.720/III(3)-B-2009-10/SLSA/2024--Shri Vikram, 6th Additional District & Sessions Judge, Dehradun is appointed as Chairman, Permanent Lok Adalat, Nainital.

NOTIFICATION

May 07, 2024

No.721/III(1)-B-2009-10/SLSA/2024--Ms. Parul Gairola, Additional District & Sessions Judge, Almora is appointed as Chairman, Permanent Lok Adalat, Dehradun.

Note:- In light of the direction of the Hon'ble High Court, the above transfer orders will come into force w.e.f. 15.05.2024.

By Order of the Hon'ble Executive Chairman,

Sd/-

PRADEEP KUMAR MANI,

Member-Secretary.

CORRIGENDUM

May 08, 2024

No.749/I-H-1/SLSA/2024--In furtherance of earlier issued Notification Number from 712 to 717, dated 07th May, 2024, the year mentioned in the Notification Number i.e. '2023' be read as '2024'.

Sd/-

PRADEEP KUMAR MANI,

Member Secretary.

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,

टनकपुर (चम्पावत)

आदेश

20 फरवरी, 2024 ई0

पत्रांक:- 228/पंजीयन निरस्त/2023-24-वाहन संख्या UK07PA1438 (BUS) मॉडल 2012 चैचिस MAT412049C0B03997 इंजन न0 21B84043554 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 04/09/2023 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चैचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 20.02.2024 को वाहन संख्या UK07PA1438 (BUS) मॉडल 2012 चैचिस MAT412049C0B03997 इंजन न0 21B84043554 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

20 फरवरी, 2024 ई0

पत्रांक:- 229/पंजीयन निरस्त/2023-24-वाहन संख्या UK07PA1267 (BUS) मॉडल 2011 चैचिस MAT412049B0G13475 इंजन न0 11G63157113 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 04/09/2023 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चैचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 20.02.2024 को वाहन संख्या UK07PA1267 (BUS) मॉडल 2011 चैचिस MAT412049B0G13475 इंजन न0 11G63157113 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

26 फरवरी, 2024 ई0

पत्रांक:- 264/पंजीयन निरस्त/2023-24-वाहन संख्या UK03TA0470 (MOTOR CAB) मॉडल 2011 चैचिस MA3EAA61SO1915452 इंजन न0 F8DN4688864 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री अशोक सिंह मेहरा पुत्र श्री शिवराज सिंह मेहरा निवासी-तल्लीचांदमारी निकट होटल सीटर बैली लोहाघाट चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 18/11/2023 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चैचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 26.02.2024 को वाहन संख्या UK03TA0470 (MOTOR CAB) मॉडल 2011 चैचिस MA3EAA61SO1915452 इंजन न0 F8DN4688864 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

26 फरवरी, 2024 ई0

पत्रांक:- 265/पंजीयन निरस्त/2023-24-वाहन संख्या UK03TA0626 (MOTOR CAB) मॉडल 2013 चैचिस MA3EUA61S00224712 इंजन न0 F8DN5012289 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री जमन सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह निवासी-ग्राम-भौरा पुलहिण्डोला जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 17/02/2024 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चैचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 26.02.2024 को वाहन संख्या UK03TA0626 (MOTOR CAB) मॉडल 2013 चैचिस MA3EUA61S00224712 इंजन न0 F8DN5012289 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

27 फरवरी, 2024 ई0

पत्रांक:- 271/पंजीयन निरस्त/2023-24-वाहन संख्या UK03CA0556 (HGV) मॉडल 2013 चैचिस MAT448035DAE03866 इंजन न0 31E63324927 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री अनिल प्रसाद सिन्हा पुत्र श्री मृगन प्रसाद सिन्हा निवासी-ओम धर्मकांटा, विष्णुपुरी कॉलोनी टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 22/02/2024 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चैचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 27.02.2024 को वाहन संख्या UK03CA0556 (HGV) मॉडल 2013 चैचिस MAT448035DAE03866 इंजन न0 31E63324927 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

27 फरवरी, 2024 ई0

पत्रांक:- 272/पंजीयन निरस्त/2023-24-वाहन संख्या UA07H8523 (HGV) मॉडल 2004 चैचिस 388094HVZ128256 इंजन न0 40H62351205 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन नदीम खान पुत्र नसीम खान निवासी-मनिहारगोठ टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 22/02/2024 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चैचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 27.02.2024 को वाहन संख्या UA07H8523 (HGV) मॉडल 2004 चैचिस 388094HVZ128256 इंजन न0 40H62351205 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

सुरेन्द्र कुमार,

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,

टनकपुर (चम्पावत)।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 18 मई, 2024 ई0 (बैशाख 28, 1946 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मैंने अपना नाम राहुल कुमार से बदलकर राहुल सिंह रघुवंशी रख लिया है भविष्य में मुझे राहुल सिंह रघुवंशी पुत्र स्व रेशपाल सिंह निवासी मोहनपुरा मोहम्मदपुर, रुड़की, जिला—हरिद्वार के नाम से जाना पहचाना जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

राहुल सिंह रघुवंशी पुत्र स्व रेशपाल सिंह
निवासी मोहनपुरा मोहम्मदपुर, रुड़की,
जिला—हरिद्वार

सूचना

मैंने निजी कारणों से अपना नाम (आजम) AAJAM से बदलकर (मौहम्मद आजम) MOHAMMAD AZAM कर लिया था। भविष्य में मुझे (मौहम्मद आजम) MOHAMMAD AZAM S/O IMRAN के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

MOHAMMAD AZAM S/O IMRAN
निवासी 63/47 भारत नगर माहिग्रान रुड़की,
जिला-हरिद्वार।

सूचना

Before marriage my name was Sharma Reenaben Gunanand. After marriage I changed my name to Reena Devi. You should know me by this name.

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Reena Devi wife Pradeep
Ghanshala, 106 Shakti Vihar
Suddowala Vikas Nagar, Dehradun,
Uttarakhand

सूचना

मेरा नाम गुलजार पुत्र निशार शाह है मैंने अपना इस्लाम धर्म अपनी इच्छा से बगैर किसी दबाव के परिवर्तन कर बौद्ध धर्म अपना लिया है और अपना नाम गुलजार से बदलकर अशिमत बौद्ध कर लिया है। भविष्य में मुझे अशिमत बौद्ध पुत्र निशार शाह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

अशिमत बौद्ध पुत्र निशार शाह
निवासी म0नं0 228, विष्णुलोक विस्थापित
कालोनी भेल रानीपुर तहसील व जिला हरिद्वार,
उत्तराखण्ड।